



प्रेस नोट - थाना बण्डा



जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 26.10.2026

थाना बण्डा पुलिस द्वारा 711 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (अफीम), 03 मोबाइल फोन, ₹350 नकद एवं एक मोटरसाइकिल सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय एवं क्षेत्राधिकारी पुवायों के पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी एवं जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी, चिन्हित अपराधियों की तलाश, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी, अफीम एवं चरस की बिक्री/निर्माण पर रोकथाम तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग एवं गश्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा के नेतृत्व में थाना बण्डा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.10.2026 को थाना बण्डा पुलिस द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सुनासिरनाथ जाने वाले मार्ग पर आलमपुर मोड़ के पास स्थित बाग से तीन अभियुक्तों 1. अंकित कुमार पुत्र रामनिवास, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम अरेली, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर, 2. हरिओम राठौर पुत्र अवधेश राठौर, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी मोहल्ला बाबा चरनदास कॉलोनी, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर तथा 3. शिवांशू वर्मा उर्फ सक्षम पुत्र ठाकुर प्रसाद, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम पटनी, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर को समय करीब 20:39 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से तीन सफेद रंग की पॉलिथीन, जिन पर खाकी रंग का टेप लगा हुआ था, में कुल 711 ग्राम अवैध अफीम (247 ग्राम, 258 ग्राम एवं 206 ग्राम), तीन मोबाइल फोन, कुल ₹350 नकद तथा एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की गई। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बण्डा पर मु०अ०सं० 498/2026, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अंकित कुमार पुत्र रामनिवास उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम अरेली थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।
2. हरिओम राठौर पुत्र अवधेश राठौर उम्र 19 वर्ष निवासी मो० बाबा चरनदास कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।
3. शिवांशू वर्मा उर्फ सक्षम पुत्र ठाकुर प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पटनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग -

मु०अ०सं० 498/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त हरिओम-

1. मु०अ०सं० 361/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु०अ०सं० 498/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त अंकित-

1. मु०अ०सं० 498/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त शिवांशू-

1. मु०अ०सं० 498/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 25.10.2026 को समय 20.39 बजे सुनासिरनाथ जाने वाले मार्ग पर आलमपुर मोड के पास बाग मे से।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 711 ग्राम अवैध अफीम (247 ग्राम, 258 ग्राम एवं 206 ग्राम)।
2. तीन अदद मोबाइल फोन।
3. कुल ₹350/- नकद।
4. एक अदद हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल।

पूछताछ अभियुक्तगण-

अभियुक्तगण 1.अंकित कुमार 2. हरिओम राठौर तथा 3. शिवांशू वर्मा उर्फ सक्षम से पूछताछ की गई तो अभियुक्तगण ने बताया कि उनके कब्जे से बरामद अफीम वे बाहरी व्यक्तियों से खरीदते हैं। अफीम उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति अपना नाम-पता नहीं बताते हैं। अभियुक्तगण के अनुसार, जब उन्होंने अफीम उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति से इसके स्रोत के संबंध में जानकारी करने का प्रयास किया, तो उसने उन्हें अधिक जानकारी न करने तथा अपने काम से काम रखने को कहा। अभियुक्तगण ने बताया कि अफीम की बिक्री से प्राप्त धनराशि उन्हें नकद मिलती है, जिसका उपयोग वे अपने परिवार के खर्चों के लिए करते हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने इस कृत्य में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहयोग अथवा संरक्षण दिए जाने से इनकार किया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री ब्रजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 जयचन्द गिरी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 रामसजीवन थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 यशवीर सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 रोहित चौहान थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
6. रि0का0 सुमित कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

